"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2012—आश्विन 13, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मीना सिंह धर्मपत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह, निवासी-क्वा. नं. 21/बी, सड़क नं. 1, सेक्टर 1, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड में मेरा नाम मीना सिंह धर्मपत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह दर्ज है तथा मेरे पति श्री जोगेन्द्र सिंह के चिकित्सा पत्रक सूची में मेरा नाम मीना कुमारी सिंह दर्ज हो गया है, जिसे सुधार कर सही नाम मीना सिंह लिखवाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे मीना सिंह धर्मपत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
मीना कुमारी सिंह धर्मपत्नी - श्री जोगेन्द्र सिह निवासी- क्वा नं. 21/बी, सड़क नं. 1 सेक्टर 1, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मीना सिंह धर्मपत्नी - श्री जोगेन्द्र सिंह निवासी- क्वा नं. 21/बी, सड़क नं. 1 सेक्टर 1, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम, छत्तीसगढ़

कवर्धा, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र./उपंक/परि./2012/621.— प्राथमिक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, लालपुर, पंजीयन क्रमांक 04 विकासखंड पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र. 422 दिनांक 17-07-2012 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम. के. ध्रुव, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथमिक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, लालपुर, पंजीयन क्रमांक 04 को इस आदेश के दिनांक 21-09-12 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. एस. नायक पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को प्राथमिक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, लालपुर, पंजीयन क्र. 04 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 21-09-12 को जारी किया गया है.

कवर्धा, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र./उपंक/परि./2012/622.— कम्बल बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, कवर्धा, पंजीयन क्रमांक 27 विकासखंड कवर्धा, जिला- कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र. 423 दिनांक 17-07-2012 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम. के. ध्रुव, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कम्बल बुनकर सहकारी समिति मार्यादित, कवर्धा, पंजीयन क्र. 27 को इस आदेश के दिनांक 21-09-12 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमति नीलम जोगी पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को कम्बल बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, कवर्धा, पंजीयन क्र. 27 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 21-09-12 को जारी किया गया है.